संख्या-1478/2026/1180/22-2-2026-17(710)/2026

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 30 अक्टूबर, 2026

विषय:- जिला कारागार फतेहपुर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी शारदा पत्नी स्व0 रामकिशोर उर्फ राजकुमार, निवासिनी जनपद-फतेहपुर की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-22148/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-20.05.2026, दिनांक 09.06.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार फतेहपुर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी शारदा पत्नी स्व0 रामकिशोर उर्फ राजकुमार, जलाला, थाना-कल्यानपुर, जनपद-फतेहपुर की निवासिनी है। महिला बन्दी द्वारा दहेज में एक लाख रूपयें व मोटर साइकिल की माँग को लेकर दिनांक 18.06.2020 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मार-पीटकर अपनी पुत्रवधू श्रीमती गुडिया की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी०नं0-648/2020 में धारा-304बी, 498ए आई०पी०सी० व 4 डी.पी एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी कोर्ट सं०-02, फतेहपुर के दण्डादेश दिनांक 04.11.2025 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में महिला बन्दी की अपील लम्बित है। महिला बन्दी द्वारा दिनांक-15.12.2025 तक अपरिहार 04 माह, 13 दिन तथा 04 माह, 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 15.12.2025 तक 64 वर्ष है।

3- सिद्धदोष महिला बन्दी शारदा पत्नी स्व० रामकिशोर उर्फ राजकुमार की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। समिति द्वारा दिनांक 15.12.2025 तक महिला बन्दी की 64 वर्ष की आयु एवं मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 15.12.2025 तक अपरिहार 04 माह, 13 दिन तथा सपरिहार 04 माह, 13 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, बन्दी के स्वास्थ्य की दशा संतोषजनक होने तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार फतेहपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शारदा (बन्दी संख्या-168/2025) पत्नी स्व0 रामकिशोर उर्फ राजकुमार, निवासी जनपद-फतेहपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1478/2026/1180(1)/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार फतेहपुर।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।